कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक दौसा की अनुशषा एवं शासन के आदेश प.04(15)शिक्षा–1/2019 पार्ट जयपुर, दिनांक 08.06.2020 के क्रम मे इस कार्यालय के आदेश शिविरा–माध्य/मा–द/अंग्रेजी माध्यम/ब्लॉक/2020–21 दिनाक 08.06.2020 द्वारा रामावि कुटी (बादीकुई) दौसा में रूपान्तरित किया गया। उक्त आदेशानुसार मौजुदा सत्र 2020–21 मे इस विद्यालय मे कक्षा 1 से 8 अंग्रेजी माध्यम में तथा शेष कक्षा 9 व 10 हिन्दी माध्यम मे संचालित होगी। आगामी वर्षो मे प्रति वर्ष 1 आगामी कक्षा अर्थात सत्र 2021–22 में 1 से 9, सत्र 2022–23 मे कक्षा 1 से 10 इसी प्रकार आगामी चार वर्षो मे कक्षा 1 से 12 तक सभी कक्षाऐ अंग्रेजी माध्यम में संचालित होंगी। वे विद्यार्थी, जो वर्तमान मे इस विद्यालय में कक्षा 1 से 8 में हिन्दी माध्यम मे अध्ययनरत है, को उसके विकल्प के आधार पर अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश दिया गया, जो हिन्दी माध्यम मे अध्ययन जारी रखना चाहते है ऐसे कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियो को निकटतम अन्य हिन्दी माध्यम विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया। इस विद्यालय के 1.5 किमी के दायरे में अन्य दो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है।

शासकीय आदेश दिनांक 08.06.2020 से रामावि कूटी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित करने के विरूद्ध श्री महेशचंद एवं अन्य ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका 8809/2020 दायर कर अनुतोष चाहा कि उक्त विद्यालय को हिन्दी माध्यम में चलाया जावे अथवा दो पारी में संचालित किया जावे। उक्त दो पारी मे से एक पारी मे हिन्दी माध्यम व दूसरी पारी में अंग्रेजी माध्यम संचालित किया जावें।

याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2020 को आदेश जारी कर याचिकार्थी को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा विभाग द्वारा चार सप्ताह में अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये गए है। याचिकार्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय को दो पारियों में क्रमशः हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम में संचालित की प्रार्थना की गई है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांकः 14.08.2020 के अनुरूप विचार किया गया। अभ्यावेदन को माननीय न्यायालय के निर्णय, विभागीय निर्देशों, विभागीय उद्देश्यों एवं योजना अनुरूप विश्लेषित किया जाने पर निम्नांकित तथ्य निर्गमित हुएः–

1. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में कक्षा 1 से 8 के हिन्दी माध्यम को अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित किया गया है। इन कक्षाओं के अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन के इच्छुक हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों को रूपान्तरित विद्यालय में प्राथमिकता से प्रवेश दिया गया। अन्य विद्यार्थियों, जो हिन्दी माध्यम में अध्ययन जारी रखना चाहते है के लिये 1.5 किमी के दायरे में दो अन्य राजकीय विद्यालय संचालित है जिनमें कक्षा 1 से 8 हिन्दी माध्यम में संचालित है।
2. रूपान्तरित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में वर्तमान कक्षाओं के अनुरूप शिक्षकों के पद स्वीकृत किये गये हैं, जिन्हें कक्षा स्तर के साथ बढ़ाया जाएगा, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी पर पर्याप्त ध्यान रखा जा सकेगा।
3. प्रतिवर्ष रूपान्तरित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में एक कक्षा स्तर (9, 10, 11 व12) बढ़ाया जाएगा तथा सभी अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों हेतु स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के लिए राजकीय विद्यालय उपलब्ध हो सकेगा।
4. किसी भी विद्यालय में कक्षा शिक्षक के अतिरिक्त विद्यार्थी के सर्वागीण विकास के लिये आवश्यक भौतिक संसाधन व मानवीय संसाधन को देखते हुए, एक ही विद्यालय में हिन्दी व अंग्रेजी, दोनों माध्यम संचालित किया जाना संभव नहीं होता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी द्वारा याचिका 8809/2020 के अनुसार माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 14.08.2020 के क्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

समस्त सम्बन्धितों को उपर्युक्तानुसार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 07/10/20

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/मा–द/अंग्रेजी माध्यम/जयपुर संभाग/66168/2020–21/41

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. माननीय उच्च न्यायालय जयपुर।
2. शासन उपसचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान जयपुर।

D:\ma - D\General letter

3. सभागीय सयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक दौसा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी –विधि, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक–विधि, कार्यालय हाजा।
7. याचिकाकर्त्ता महेश चन्द व अन्य जरिए जिला शिक्षा अधिकारी विधि–माध्यमिक जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. स्टॉफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।
10. प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय कुटी, दौसा।
11. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

D:\ma - D\General letter